संख्या:- 13 /2020/299/23-5-20-6(सा0)/2020

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लोक निर्माण अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक : 25 फरवरी, 2019

विषय: मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका सं0-18253/2019, राकेश कुमार बनाम प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, प्रयागराज व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2019 के अनुपालन में सरकारी आवासों में अध्यासन की अवधि के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका सं0-18253/2019, राकेश कुमार बनाम प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, प्रयागराज व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2019 के क्रियात्मक अंश निम्नवत हैं:-

14. In the present case, since the accommodation has now been got vacated from the respondent No.5 and the allottee has been given possession of the allotted Government Accommodation, therefore, this writ petition is disposed of and the following directions are issued which shall be strictly complied with by the State Government:-

(i) The State Government shall ensure compliance of the directions of Hon'ble Supreme Court in the case of S.D. Bandi (supra) and take immediate action against all such employees/officers who are unauthorisedly over staying in a Government Accommodation after their retirement or transfer.

(ii) Necessary action shall be taken by competent authorities in the State of Uttar Pradesh against such Employees/Officers who are unauthorisidely over staying in Government allotted accommodation after their retirement or transfer (as suggested by Hon'ble Supreme Court in the case of S.D.Bandi's case and directed to be implemented in Vimal Bhai case).

(iii) The State Government shall frame and adopt a uniform policy within two months from today, if not framed so far, for granting extension to retain the Government accommodation beyond prescribed limit and shall strictly adhere to it.

(iv) The State Government shall call for 8 information from all the District Authorities in the State of Uttar Pradesh within two months from today about the Officers and Employees who are unauthorisedly over staying or retaining the Government accommodation beyond prescribed limit, after their retirement or transfer. Within next one month, the State Government shall ensure that all such Government accommodation being illegally or unauthorisedly occupied by retired/transferred Employees and Officers are vacated immediately. In the event, any inaction is shown by any authority, the State Government shall ensure that necessary action is also taken against such authorities.

मा0 न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 28.11.2019 द्वारा राज्य सरकार को सरकारी आवासों में अध्यासन बनाये रखने की अवधि निर्धारण के सम्बन्ध में एक समरूप नीति का निर्धारण किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना दिनांक 02.01.2017 द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली-2016 प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली के नियम-8 में राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु सरकारी आवासों में अध्यासन की अवधि के निर्धारण की व्यवस्था दी गयी है। अतः मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.11.2019 के अनुपालन में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार के

पी0 के0 सक्सेना
मुख्य अभियन्ता (भवन)
लो0 नि0 वि0, लखनऊ।

अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु सरकारी आवासों में अध्यासन की अवधि की उपर्युक्त व्यवस्था को राज्य सरकार के समस्त शासकीय विभागों पर समान रूप से निम्नानुसार लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, न्यायिक सेवा के अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों और पत्रकारों /वरिष्ठ पत्रकारों को भवनों का आवंटन उनके मुख्यालय में तैनात रहने की अवधि तक के लिये किया जायेगा। आवंटितियों के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति की दशा में आवंटितियों को उनके द्वारा अध्यासित आवास को उनके स्थानान्तरण /सेवानिवृत्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर रिक्त करना होगा।

(2) कोई आवंटन उस दिनांक से जिस दिनांक को आवंटिती द्वारा भवन का कब्जा प्राप्त किया गया हो, से प्रभावी होगा।

(3) किसी कर्मचारी/अधिकारी को आवंटित कोई भवन, नीचे सारणी के स्तम्भ-2 में उल्लिखित कोई घटना होने पर उसके स्तम्भ-3/4 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट अवधि तक बनाये रखा जा सकता है परन्तु यह कि भवन की आवश्यकता अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार या उसके परिवार के सदस्यों के वास्तविक उपयोग के लिये हो।

क्र0 सं0	घटना	सरकारी आवासों में अध्यासन की अवधि - सामान्यतया	विशेष अनुज्ञा से अतिरिक्त अवधि
1	2	3	4
1	त्यागपत्र पदच्युति, सेवा से हटाया जाना या सेवा समाप्ति	30 दिन	--
2	सेवा निवृत्ति या सेवान्त अवकाश(टर्मिनल लीव)	30 दिन	30 दिन
3	आवंटिती की मृत्यु	90 दिन	90 दिन
4	मुख्यालय से बाहर स्थानान्तरण	30 दिन	30 दिन
5	राज्य सरकार से इतर स्थानान्तरण	30 दिन	30 दिन
6	अस्थायी स्थानान्तरण	120 दिन	--
7	भारत में विदेश सेवा में जाने पर	30 दिन	30 दिन
8	सेवानिवृत्ति अवकाश या फण्डामेण्टल रूल 86 के अधीन स्वीकार की गयी अस्वीकृत अवकाश	(सेवानिवृत्त प्रभावी होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर)।	--
9	अवकाश (सेवानिवृत्ति अवकाश, अस्वीकृत अवकाश, सेवारत अवकाश, चिकित्सा अवकाश या अध्ययन अवकाश से भिन्न)	अवकाश अवधि के लिये किन्तु 04 माह से अधिक नहीं।	
10	भारत के बाहर अध्ययन अवकाश या प्रतिनियुक्ति	अवकाश अवधि के लिये किन्तु 06 माह से अधिक नहीं।	
11	भारत में अध्ययन अवकाश	अवकाश अवधि के लिये किन्तु 06 माह से अधिक नहीं।	
12	चिकित्सा आधार पर अवकाश	अवकाश की सम्पूर्ण अवधि के लिये।	
13	प्रशिक्षण पर जाने पर	प्रशिक्षण की सम्पूर्ण अवधि के लिये।	
14	प्रसूति/बाल्य देखभाल अवकाश	प्रसूति/बाल्य देखभाल अवकाश और अधिकतम 180 दिन की अवधि के अध्यधीन निरन्तरता में स्वीकृत अवकाश अवधि के लिये।	

स्पष्टीकरण - मद (चार) (पांच) व (सात) के सापेक्ष उल्लिखित स्थानान्तरण पर अनुज्ञेय अवधि की गणना प्रभार छोड़ने और नये पद का कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अधिकारी को स्वीकृत और उसके द्वारा उपभोग किये गये अवकाश, यदि कोई हो, की अवधि के दिनांक से की जायेगी।

(4) जहां कोई भवन उपरोक्त प्रस्तर-2(3) के अधीन बनाये रखा जाय वहां आवंटन अनुमन्य अनुग्रह अवधि की समाप्ति पर रद्द हुआ समझा जायेगा जब तक कि उसकी समाप्ति के पश्चात के दिनांक को या उसके पूर्व उक्त अधिकारी मुख्यालय में राज्य सरकार के अधीन किसी पद का कार्यभार ग्रहण न कर लें।

(5) प्रस्तर-2(2)(3)(4) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी जब कोई अधिकारी सेवा से पदच्युत कर दिया जाय या हटा दिया जाय या जब उसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हों और उस कार्यालय को जिसमें ऐसा अधिकारी इस प्रकार पदच्युत किये जाने, हटाये जाने या सेवा समाप्त किये जाने के ठीक पूर्व नियोजित था, विभागाध्यक्ष का लिखित रूप में कारण अभिलिखित करने के पश्चात यह समाधान हो जाय कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है तब ऐसे अधिकारी को किये गये भवन के आवंटन को या तो तुरन्त या प्रस्तर-2(3) की सारणी के स्तम्भ-3 में उल्लिखित एक माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसे दिनांक को जिसे विनिर्दिष्ट किया जाय, रद्द करने की अपेक्षा की जा सकती है।

(6) कोई आवंटिती जो सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे दिया हो, सरकारी आवास को बनाये रखने और प्रतिपाल्य/पति-पत्नी के नाम से ऐसे भवन को विनियमित किये जाने के लिये पात्र नहीं होगा।

(7) सेवा से गायब अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित भवनों का विनियमितिकरण के सम्बन्ध में -

यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी के गायब होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके परिवार द्वारा दर्ज करायी गयी है और पुलिस द्वारा उसे खोजे न जा सकने की रिपोर्ट दी गयी है, तो ऐसे मामलों में आवंटित भवनों के विनियिमितीकरण हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन किया जायेगा -

अधिकारी/कर्मचारी के गायब होने के सम्बन्ध में पुलिस से इस आशय की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त कि सम्बन्धित कर्मी अब भी गायब है, से एक वर्ष की अनुमन्य अनुग्रह अवधि समाप्त होने के उपरान्त आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, परन्तु सामान्य किराये पर अग्रिम एक वर्ष की और अवधि तक के लिये आवंटन बनाये रखने की इस शर्त के साथ अनुमति दी जा सकती है कि गायब अधिकारी/कर्मचारी के किसी पारिवारिक सदस्य के नाम मुख्यालय में कोई भवन नहीं है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी आवासों में अध्यासन की अवधि के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्राविधानों को राज्य सरकार के समस्त विभागों में तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2019 के अनुपालन में यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि उपर्युक्तानुसार निर्धारित अवधि के उपरान्त सरकारी आवासों में रहने वाले अनधिकृत/अवैध अध्यासियों से आवास रिक्त कराने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।